न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 1707/15

प्राथमिकीकर्ता का नाम	दिनेश कुमार पुत्र सुखाराम निवासी ढाणी मालाकाली थाना रींगस जिला सीकर।
अभियुक्त का नाम एवं पता	सुरेन्द्र पुत्र अर्जुनलाल उम्र 33 साल निवासी मांजीपुरा तन मानपुरी बस स्टेण्ड के पास थाना अमरसर जिला जयपुर।
अपराध अन्तर्गत धारा	379 भारतीय दण्ड संहिता
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	17.02.2015
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 श्रवण, पी ड 2 मंगलचंद, पी ड 3 दिनेश कुमार, पी ड 4 पूरणमल, पी ड 5 धर्मचन्द, पी ड 6 शीशराम, पी ड 7 विष्णुदत्त, पी ड 8 महावीरसिंह, पी ड 9 पवन, पी ड 10 रतनाराम
अभियोजन दस्तावेज	नक्शा मौका प्रदर्शपी 1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 2, आरसी प्रपत्र प्रदर्श 3 जिसकी प्रति प्रदर्शपी 3ए, फर्दजप्ती मोटर साईकिल प्रदर्शपी 4, फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्शपी 5, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज प्रदर्शपी 6, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी 7, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्शपी 8, अभियुक्त का सजायाबी रिकार्ड प्रदर्शपी 9
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	10.04.2026
निर्णय दिनांक	16.04.2026
अन्तिम निर्णय	16.04.2026
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री सहायक लोक अभियोजक
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गिरीराजसिंह तंवर

-- नि र्ण य -- दि नां क- 16.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2015 को परिवादी दिनेश कुमार द्वारा उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई गई कि उसकी मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 दिनांक 14 फरवरी 2015 को उसके चाचाजी मंगलचंद लेकर गांव मालाकाली में शादी में गये थे शाम को साढे छह बजे धन्नाराम के घर पर मोटर साईकिल खडी की थी, लेकिन मोटर साईकिल वहां पर नहीं मिली। मोटर साईकिल चोरी होने की सूचना थाने पर दी गई थी, इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना रींगस ने मुकदमा नम्बर 53/2015 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरूद्व उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस आरोप सुनने के उपरान्त अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने गवाह पी ड 1 लगायत 10 को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 1 लगायत 9 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना कथन किया है।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रष्न यह है कि-

1. आया अभियुक्त ने दिनांक 14.02.2015 को समय करीब 6.30 पीएम या इसके आसपास मौजा मालाकाली में परिवादी दिनेश कुमार की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 को बिना परिवादी/मालिक की सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया, एतद्द्वारा अभियुक्त ने धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया ?

2. यदि उक्त अवधारणीय बिन्दु अभियोजन अपने पक्ष में प्रमाणित कराने में सफल रहता है तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा ?

7. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध सन्देह से परे

प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिये है कि हस्तगत प्रकरण अभियोजन अपने पक्ष में संदेह से परे प्रमाणित करवाने में असफल रहा है। परिवादी पक्ष मौके के साक्षी नहीं है, वह वक्त घटना मौके पर नहीं थे तथा उसने चोरी करते हुये किसी को नहीं देखा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाई गई है तथा स्वतंत्र गवाहान को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, प्रकरण में केवल हितबद्ध साक्षी है। नक्शे मौके के साक्षीगण ने नक्शा मौका को साबित नहीं किया है। अनुसंधान अधिकारी ने अधिकांश बातों को लेकर अनभिज्ञता दर्शाई है। प्रकरण में चोरी गई मोटर साईकिल की अभियुक्त से बरामद हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है। प्रदर्शपी 4 के जरिये जप्तशुदा मोटर साईकिल पुलिस थाना अमरसर से जप्त की गयी है ना कि अभियुक्त के अनन्य व चेतन्य कब्जे से। प्रदर्शपी 4 के दोनों गवाह ही पुलिसकर्मी है जिससे अभियुक्त को आरोपित अपराधों से नहीं जोडा जा सकता है। परिवादी व अन्य साक्षियों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली का पुनः आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अनुशीलन व परिशीलन किया गया।

10. उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में न्यायालय में **परिवादी दिनेश कुमार पी ड 3** के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने कथन किया कि दिनांक 14.02.2015 को वह चाचा मंगलचंद के साथ शादी में गया था। मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 को शंकरलाल के मकान के पास में खडी की थी। वह करीब एक डेढ घंटे बाद वापस आया तो मोटर साईकिल नहीं मिली। रिपोर्ट उसने प्रदर्शपी 2 दर्ज करवाई, नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 है। पुलिस ने मोटर साईकिल बरामद करने के बाद बताया कि यह चोरी सुरेन्द्र ने की है। वह मोटर साईकिल का रजिस्टर्ड स्वामी है। आरसी प्रदर्शपी 3 व उसकी प्रति प्रदर्शपी 3ए है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह सुरेन्द्र को नहीं जानता है। यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 पर पुलिस ने हस्ताक्षर थाने पर करवाये थे। यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं की मोटर साईकिल को ले जाने वाले को ना तो उसने देखा था और ना ही आज बता सकता है। उक्त गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो यह साक्षी परिवादी होकर साक्षी मौके का साक्षी नहीं है। इस गवाह ने हालांकि मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने मोटर साईकिल बरामद करने के बाद उसे सुरेन्द्र द्वारा चोरी करना बताया, लेकिन किस पुलिस वाले ने बताया इस तथ्य को उजागर नहीं किया है। परिवादी गवाह ने स्वयं द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र को जानने से ही इंकार किया है। परिवादी गवाह से अभियुक्त की पहचान दौराने अनुसंधान अथवा न्यायालय में नहीं करवाई गई

है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जिसके द्वारा चोरी की घटना कारित की गई हो। इस प्रकार परिवादी गवाह की साक्ष्य से उसकी मोटर साईकिल चोरी होना तो प्रमाणित होता है परन्तु अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल चोरी की घटना कारित की गई हो, साबित होना नहीं माना जा सकता है।

11. **पी ड 1 श्रवण कुमार** ने बयान दिया कि वर्ष 2015 में पुलिस ने उसके सामने ढाणी मालाकाली के पास मोटर साईकिल चोरी होने का नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि प्रदर्शपी 1 पर हस्ताक्षर पुलिस ने घटनास्थल पर करवाये थे जो नक्शा मौका बनाये जाने के बाद करवाये थे। नक्शा मौका घटना के 2-3 दिन बाद बनाया था। यह साक्षी नक्शा मौका घटनास्थल का साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता है।

12. **पी ड 2 मंगलचंद** ने बयान दिया कि दिनांक 14.02.2015 को वह अपनी मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 से शंकरलाल के बच्चे की शादी में गया था। मोटर साईकिल उसने धन्नाराम के घर के बारह खडी की थी। वह करीब साढे आठ बजे वापस आया तो उसे मोटर साईकिल नहीं मिली। उसके भतीजे दिनेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। किसने चुरायी पता नहीं है। पुलिस ने मोटर साईकिल 4-5 माह बाद बरामद की थी। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर के बाद लिखापढी की थी। उसकी मोटर साईकिल कौन चोरी करके ले गया पता नहीं है। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो इस गवाह ने मोटर साईकिल किसने चुराई इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मोटर साईकिल चोरी होना तो प्रमाणित होता है परन्तु अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल की चोरी की घटना कारित किये जाने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है।

13. **पी ड 4 पूरणमल** ने बयान दिया कि मोटर साईकिल थाने में खडी को जरिये फर्द प्रदर्शपी 4 जप्त किया था। मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट पर आरजे 14 एसबी 3492 थे। जप्तशुदा मोटर साईकिल के मूल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 थे। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि फर्द जप्ती दिनांक 23.09.2015 को बनाई थी। गाडी के चेचिस नम्बर व इंजन नम्बर देखकर बता सकता है। इस प्रकार यह गवाह मोटर साईकिल जप्ती का साक्षी है।

14. **पी ड 5 धर्मचन्द** ने बयान दिया कि ग्राम पंचायत मालाकाली में कानाराम के मकान के सामने धन्नाराम की कृषि भूमि का नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 बनाया था। इस स्थान से दिनेश कुमार की मोटर साईकिल चोरी हो गई थी। चोरी सुरेन्द्र ने की थी। सुरेन्द्र भी वहां पर मौजूद था। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि सुरेन्द्र के रिश्तेदार ने बताया कि चोरी सुरेन्द्र ने की थी। रिश्तेदार शीशराम था। उसे घटनास्थल पर पुलिस वालों ने बुलाया था, शीशराम भी उसके

साथ था। इस गवाह की साक्ष्य की विवेचना की जावे तो इस साक्षी ने हालांकि चोरी सुरेन्द्र द्वारा करना कथन किया है लेकिन यह साक्षी मौके का साक्षी नहीं है, स्वयं द्वारा सुरेन्द्र द्वारा मोटर साईकिल की चोरी करते हुये देखा गया हो, इस साक्षी की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। इस गवाह द्वारा उसके रिस्तेदार शीशराम द्वारा अभियुक्त सुरेन्द्र का नाम उसे बताया जाना कथन किया है, लेकिन गवाह शीशराम द्वारा अपने बयानों में सुरेन्द्र को जानने से इंकार किया है तथा सुरेन्द्र का नाम उसे पुलिस द्वारा बताया जाना कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह मौके का साक्षी नहीं होकर इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा चोरी की घटना कारित किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

15. **पी ड 6 शीशराम** ने बयान दिया कि कानाराम के मकान के सामने धन्नाराम की भूमि का नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 बनाया था। इस स्थान से दिनेश कुमार की मोटर साईकिल चोरी हो गई थी। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह सुरेन्द्र को नहीं जानता है। उसे सुरेन्द्र का नाम पुलिस द्वारा बताया जाना कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह मौके का साक्षी नहीं होकर पुलिस द्वारा उसे अभियुक्त सुरेन्द्र का नाम बताया गया है, किस पुलिस वाले द्वारा अभियुक्त का नाम उसे बताया गया, इस तथ्य को उजागर नहीं किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता है।

16. **पी ड 7 विष्णुदत्त** ने बयान दिया कि प्रकरण में एक मोटर साईकिल नम्बर आरजे 14 एसबी 3492 को जप्त किया था जिसे उसने मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया था मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी 6 है जिसको पुलिस थाना रींगस के मु.नं. 53/15 में वांछित होने पर पवन कुमार एएसआई द्वारा थाना अमरसर पर जाकर प्रकरण का माल मशरूका होने से उसके समक्ष जप्त की थी जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्शपी 4 है। उक्त मोटर साईकिल के इंजन व चेचिस नम्बर मिलान करने पर 9988 होना पाया था। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि उसने जप्तशुदा मोटर साईकिल को पवन कुमार एसआई को सुपुर्द करने का इन्द्राज मालखाना रजिस्टर में कर दिया था स्वयं ने कहा कि उसने जप्तशुदा मोटर साईकिल न्यायालय के आदेश् से परिवादी आरसी मालिक को सुपुर्द की थी। यह स्वीकार किया कि उक्त मोटर साईकिल को जप्त करने के बाद उसे सुपुर्द कर दिया था। यह साक्षी मालखाना इंचार्ज है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता है।

17. **पी ड 8 महावीरसिंह** ने बयान दिया कि मु.नं. 53/15 का माल मशरूका मोटर साईकिल अभियुक्त सुरेन्द्र से बरामद होने पर पत्रावली तफतीश हेतु पवन कुमार को सुपुर्द की थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भादसं. में चालान पेश किया था, चार्जशीट पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस तथ्य को गलत बताया कि आईओ ने गलत तफतीश कर पत्रावली उसके समक्ष पेश की हो। यह साक्षी

अभियुक्त के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश करने वाला औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता है।

18. **पी ड 9 पवन** ने बयान दिया कि मु.नं. 53/15 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर गवाहान के बयानात उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। मुकदमें में जप्तशुदा मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 को जप्त किया। अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्शपी 8 गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्शपी 7, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्शपी 5, अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्शपी 9 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ के समक्ष पेश की जिन्होने चालान न्यायालय में पेश किया। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रदर्शपी 7 व 8 पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 7 पर हस्ताक्षर थाने पर ही करवाये थे। यह साक्षी प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है।

19. **पी ड 10 रतनाराम** ने बयान दिया कि परिवादी दिनेश कुमार द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर मु.नं. 53/15 दर्ज कर तफतीश प्राप्त होने पर गवाहान के बयानात उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये गये। नक्शा मौका प्रदर्शपी 1 बनाया गया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 2 है। उसका स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी को सुपुर्द की थी। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि मंगलचंद के यहां से मोटर साईकिल चोरी हुई थी। आगे स्वीकार किया कि मंगलचंद का मकान कही भी दर्शित नहीं किया गया है। यह साक्षी प्रकरण का अन्य अनुसंधानकर्ता होकर औपचारिक साक्षी है जिसकी साक्ष्य से अभियुक्त को आरोपित अपराध से नहीं जोडा जा सकता है।

20. इस प्रकार उपरोक्तानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त सुरेन्द्र के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में पेश की गयी है जिसका समग्रतापूर्वक अवलोकन करे तो चोरी से सम्बन्धित प्रकरण में अभियोजन पक्ष से किसी चक्षुदर्शी साक्षी को पेश किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि इस प्रकार के अपराध अपराधी स्वयं को लोगों की नजरों से बचाकर ही कारित करते है। इस प्रकार के प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर आरोपित अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित किया जाना होता है अर्थात यदि परिवादी की चोरी की गयी सम्पति अभियुक्त के अनन्य एवं सचेतन कब्जे से बरामद होती है तो न्यायालय द्वारा धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त द्वारा या तो उक्त सम्पति को चुराया गया है या चोरी की होना जानते हुये प्राप्त किया गया है। इस प्रकार के प्रकरणों के आधिपत्य का बिन्दु सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थात अभियोजन पक्ष को यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित करना आवश्यक होता है कि परिवादी की

चुराई गयी सम्पति अभियुक्त के अनन्य एवं सचेतन कब्जे से बरामद हुयी है। हस्तगत प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष की ओर से किसी चक्षुदर्शी साक्षी को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। पत्रावली पर परीक्षित गवाहान पी ड 1 श्रवण, पी ड 2 मंगलचंद, पी ड 3 दिनेश कुमार की साक्ष्य से परिवादी की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 की चोरी होना तो प्रमाणित होता है परन्तु उक्त चोरी अभियुक्त द्वारा की गई हो इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन करे तो पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द जप्ती प्रदर्शपी 4 पेश की गयी है जिसका अवलोकन करे तो उक्त फर्द जप्ती के अनुसार मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 बरंग काला पुलिस थाना अमरसर जयपुर से जप्त की गयी है। उक्त फर्द जप्ती प्रदर्शपी 4 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त जप्ती की कार्यवाही अभियुक्त की इत्तिला के आधार पर सम्पादित की गई हो अथवा फर्द जप्ती में वर्णित मोटर साईकिल अभियुक्त के अनन्य व चेतन्य कब्जे, आधिपत्य से बरामद हुई हो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे परिवादी की चुराई गयी मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 का अभियुक्त के अनन्य व चेतन्य कब्जे से बरामद किया जाना प्रमाणित होता हो। हालांकि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्शपी 7 के आधार पर घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया परन्तु अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर किसी प्रकार की जप्ती की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में कड़ीबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में लेशमात्र भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचना के क्रम में अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने सुसंगत दिनांक समय एवं स्थान पर परिवादी दिनेश कुमार की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 23 एसडी 9988 को बिना परिवादी/मालिक की सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

-- आदेश --

21. अतः अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र अर्जुनलाल उम्र 33 साल निवासी मांजीपुरा तन मानपुरी बस स्टेण्ड के पास थाना अमरसर जिला जयपुर को अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के अंवीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

22. प्रकरण में जप्तशुदा मोटर साईकिल सुपुर्दगी पर प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को दी गई है जिसके जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने अपीलावधि नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

23. अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत 06 माह की अवधि के 25-25 हजार रूपए की राशि के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर(राज.)

24. उक्त निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रींगस जिला सीकर